157

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

राजस्थान RAJASTHAN

A 053075

॥ श्री ॥

विक्रय–पत्र

यह विक्रय पत्र आज जयपुर नगर में [illegible] आयु 75 वर्ष पुत्र श्री रूड़ा, जाति जाट, निवासी ग्राम सबरामपुरा, तहसील व जिला जयपुर (राजस्थान), जिसे इस विक्रय पत्र में आगे चलकर शब्द "प्रथम पक्ष विक्रेता" के नाम से सम्बोधित किया गया है, की ओर से भाने सहाय

सचिव
भानेसहाय जन कल्याण शिक्षण संस्थान
सबरामपुरा (जयपुर)

भानेसहाय जन कल्याण शिक्षण संस्थान
सबरामपुरा (जयपुर)

ATTESTED

जनकल्याण शिक्षण संस्थान सबरामपुरा, जयपुर जो कि रजिस्ट्रार संस्थाए के अन्तर्गत राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत है, जिसका पंजीकृत क्रमांक 645 जयपुर/2007–08 जरिये सचिव श्री बाबू लाल यादव आयु 35 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री हरचन्द यादव, जाति अहीर, निवासी मु0 खेड़की, पो0 गुती, तहसील बहरोड़, जिला अलवर (राजस्थान), जिसे इस विक्रय पत्र में आगे चलकर शब्द "द्वितीय पक्ष क्रेता" के नाम से सम्बोधित किया गया है, के मध्य निम्न प्रकार लिखा, तहरीर व तकमील किया गया है, जिसमें प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष एवं उक्त पक्षकारान् के तमाम पारिवारिक सदस्य, वारिसान, उत्तराधिकारी, स्थानापन्न, प्रतिनिधि इत्यादि सभी पाबन्द व सम्मिलित रहेंगे।

जो कि ग्राम सबरामपुरा, तहसील व जिला जयपुर मे खाता संख्या 2 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 107/846 रकबा 8 बीघा कृषि भूमि स्थित है, जिसकी सम्पूर्ण खातेदारी प्रथम पक्ष विक्रेता के नाम राजस्व रिकार्ड व जमाबन्दी मे दर्ज व अंकित है। जिसका प्रथम पक्ष विक्रेता बिना किसी अन्य व्यक्ति के सीर एवं साझे के मालिक, काबिज, स्वामी व अधिकारी है, तथा प्रथम पक्ष विक्रेता के स्वामित्व की उपरोक्त वर्णित भूमि प्रत्येक प्रकार के राज्य सरकार व जनसाधारण के भार एवं झगड़ों, टन्टों से मुक्त है, जिसको प्रथम पक्ष विक्रेता ने विक्रय, बख्शीश, पुण्य, वसीयत, मुख्त्यारनामा इत्यादि में बन्धित नहीं कर रखी है, जिसके बाबत किसी भी प्रकार का कोई वाद किसी भी न्यायालय में लम्बित व विचाराधीन नहीं है तथा उक्त भूमि के बाबत् किसी भी प्रकार की अवाप्ति व अधिग्रहण के सम्बन्ध में कोई नोटिस व सूचना प्राप्त नहीं हुआ है और किसी भी प्रकार का स्थगन

उप रजिस्ट्रार, जयपुर पंचम

सचिव
मानसहाय जन कल्याण शिक्षण संस्थान
सबरामपुरा (जयपुर)

ATTESTED

OATH COMM...
JAIPUR CI...

मानसहाय जन कल्याण शिक्षण संस्थान
सबरामपुरा (जयपुर)

[illegible] की गयी है तथा संबंधित कार्यवाही पूर्ण की गयी है, जिससे प्रत्येक प्रकार की कार्यवाही व अपने नाम से [illegible] हस्तान्तरित करने का समस्त अधिकार प्रथम पक्ष विक्रेता को प्राप्त है।

यह कि प्रथम पक्ष विक्रेता को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रुपयों की आवश्यकता है और इस कारण से उक्त भूमि स्थित ग्राम [illegible]पुरा, तहसील व जिला जयपुर, खसरा नम्बर 107/348 रकबा 8 बीघा का हिस्सा 1/8 अर्थात 01 बीघा भूमि मय पेड़, पौधे, नाला, नाली, पेड़-पौधे इत्यादि सहित को बिना किसी भी प्रकार व हिस्से के [illegible] सहित तथा स्थित भूमि की अवस्था में जैसा जिसमें प्रकार की [illegible] गृह निर्माण सहकारी समिति [illegible]पुरा, जयपुर जो कि रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 1965 के अन्तर्गत पंजीकृत है, जिसका पंजीकृत क्रमांक 645 जयपुर/2007-08 जरिये सचिव श्री [illegible] यादव आयु 38 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री [illegible] यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम [illegible], पोस्ट [illegible], तहसील [illegible], जिला अलवर (राजस्थान) को मुबलिग 20,00,000/- रुपये अक्षरे बीस लाख रुपये में हमेशा के लिए [illegible] बेचान कर दी है, प्रतिफल की कुल राशि 20,00,000/- रुपये अक्षरे बीस लाख रुपये में से 9,00,000/- रुपये अक्षरे नौ लाख रुपये, जरिये चैक नम्बर 302001 दिनांक 21.01.2008, चैक नम्बर [illegible] दिनांक 21.01.2008 व चैक नम्बर 302003 दिनांक 20.02.2008 [illegible] बैंक शाखा वैशाली नगर, जयपुर के मार्फत कुल 9,00,000/- रुपये अक्षरे नौ लाख रुपये का प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से प्राप्त कर ली है व 11,00,000/- रुपये अक्षरे ग्यारह लाख रुपये प्राप्त करना [illegible]

उप पंजीयक, जयपुर

पंचम

विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से नकद एवं विक्रय पत्र पर अपने हस्ताक्षर करने से पूर्व नकद प्राप्त कर लिये हैं, इस प्रकार सम्पूर्ण विक्रय मूल्य राशि 25,00,000/- रुपये अक्षरे [illegible] प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से उपरोक्तानुसार प्राप्त कर ली है जिसकी प्राप्ति स्वीकार प्रथम पक्ष विक्रेता इस विक्रय पत्र में उप पंजीयक, जयपुर के समक्ष स्वीकार करता है। इस विक्रय मूल्य में से द्वितीय पक्ष क्रेता से कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है और विक्रय की गई भूमि का कब्जा प्रथम पक्ष विक्रेता ने आज द्वितीय पक्ष क्रेता को मौके पर वास्तविक भौतिक रूप से संभला दिया है। इस प्रकार इस विक्रय पत्र द्वारा आज की गई भूमि का द्वितीय पक्ष क्रेता खातेदार, मालिक, काबिज, स्वामी व अधिकारी प्रथम पक्ष विक्रेता के स्थान पर हो गया है व अपना स्वयं की भूमि पर जिस प्रकार आज तक प्रथम पक्ष विक्रेता को अधिकार एवं सम्पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है व आज से इस विक्रय पत्र के जरिये द्वितीय पक्ष क्रेता को हस्तान्तरण होकर प्राप्त हो गये हैं।

यह कि अब द्वितीय पक्ष क्रेता [illegible] विक्रय [illegible] तहसील [illegible], जयपुर स्थित [illegible] की गई भूमि खसरा नम्बर 107/846 रकबा 08 बीघा [illegible] हिस्सा 1/8 अर्थात 01 बीघा का नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम करावे व अंकित करावे, भूमि के तमाम कागजात उठावें, जिस तरह चाहे अपने उपयोग व उपभोग में लेवे इस भूमि को एक लाख व अन्यों से किसी भी प्रकार से विक्रय करें, विक्रय राशि प्राप्त करें तथा विक्रय पत्र निष्पादित करावें, निर्माण करावे, अन्य किसी न्यायालयों में परिवर्तित करावें तथा [illegible] बैंक [illegible] प्राप्त करें एवं किसी भी किसी भी [illegible] पर किसी भी प्रकार से रहन, गिरवी, समझौता, [illegible] व

(15)

की प्रथम पक्ष विक्रेता के हस्ताक्षर, [illegible] व सहयोग की आवश्यकता होगी तो उसकी पूर्ति बिना [illegible] हेतु पाबन्द व वचनबद्ध है।

यह कि विक्रय की गई भूमि का रकबा [illegible] बीघा है, जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व की ओर [illegible], पश्चिम की ओर [illegible], उत्तर की ओर विक्रेता की शेष भूमि तथा दक्षिण की ओर विक्रेता की शेष भूमि है।

यह कि विक्रय की गई भूमि कृषक खातेदार के 1/4 हिस्से से शामिल खाता [illegible] पर स्थित है।

अतः यह विक्रय पत्र प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता के हित में अपनी राजी, खुशी स्वस्थ चित्त तथा बिना [illegible] किसी दबाव व बहकावे के बिना किसी नशे के 1000/- रुपये की [illegible] लिखा [illegible] ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे। आज दिनांक 2/[illegible] सन 20[illegible] ईस्वी।

हस्ताक्षर विक्रेता :-

हस्ताक्षर क्रेता :-

गवाह नं. 1

[illegible]

गवाह नं. 2

[illegible]

ATTESTED